[illegible]

[illegible]

[illegible] 18 ई/2016

[illegible]/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] पत्रावली दिनांक 23/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
23/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप0। व्यस्तता के कारण आदेश सुनाया नहीं जा सका। वास्ते आदेश हेतु दि0 28/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	2
[illegible]/5/25	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04/6/25 को पेश हों।	
[illegible]/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 6/6/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
[illegible]/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप0। वादी का वाद अस्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली नियम से कार्यवाही बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 183/2018
निर्णय दिनांक: 06.06.2025

उनवानी

1. राजेश जाजोरिया पुत्र रामकिशोर, उम्र 17 वर्ष,
2. राजेन्द्र जाजोरिया पुत्र रामकिशोर, उम्र 16 वर्ष,
3. प्रिया जाजोरिया पुत्री रामकिशोर, उम्र 14 वर्ष,

समस्त जाति रैगर, समस्त निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, समस्त नाबालिक जरिये वाद मित्र, प्राकृतिक माता श्रीमति लाली देवी पत्नी रामकिशोर, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयसिहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

4. सोनू पुत्री लेखराज उर्फ मेघराज, उम्र 14 वर्ष,
5. देवराज पुत्र लेखराज उर्फ मेघराज, उम्र 11 वर्ष,
6. रोहित पुत्र लेखराज उर्फ मेघराज, उम्र 7 वर्ष,

समस्त जाति रैगर, समस्त निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, समस्त नाबालिक जरिये वाद मित्र, प्राकृतिक माता श्रीमति पार्वती देवी पत्नी लेखराज उर्फ मेघराज, उम्र 34 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र स्व. लूणाराम, उम्र 41 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. लेखराज उर्फ मेघराज, पुत्र स्व. लूणाराम, उम्र 38 वर्ष, जाति रैगर, निवासी ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. मनभर देवी पत्नी स्व. फूलचन्द, जाति रैगर, निवासी ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर शहर, जयपुर। हाल नि. प्लाट नं. 11 सुमन विहार धावास अजमेर रोड जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय सांगानेर।
5. उप–पंजीयक सांगानेर द्वितीय सांगानेर, तहसील कार्यालय, सांगानेर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92–क, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92–क व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 एक ही परिवार के सदस्य है। कृषि भूमि हाल खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 809 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 810 रकबा 0.0300 हैक्टेयर व खसरा संख्या 811 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 1.2800 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू. अभि.नि.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है, जो इस वाद में विवादग्रस्त सम्पत्ति है। उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पितामह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता श्री लूणाराम पुत्र कानाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है, जो सम्वत् 2051 से 2054 व सम्वत् 2055 से 2058 की जमाबन्दी में वादीगण व

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

तिवादी संख्या 1 व 2 के हकपूर्वाधिकारी लूणाराम पुत्र कानाराम की खातेदारी में स्थ
। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अन्य भाईयों का
के हकपूर्वाधिकारी श्री लूणाराम के जीवनकाल से ही संयुक्त परिवार रहा है व उक्त
मि पर सभी का कब्जा काश्त रहा है। वादीगण के पितामह व प्रतिवादी संख्या 1 व 2
के पिताजी श्री लूणाराम पुत्र कानाराम की मृत्यु होने के पश्चात विवादग्रस्त कृषि भूमि में
विरासत का नामान्तकरण उक्त वर्णित सजरा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व
रामफूल हंसराज, रामप्यारी देवी व गोरा देवी के नाम तस्दीक हो गया। रामप्यारी देवी ने
अपने हिस्से का हक त्याग अपने भाईयों (प्रतिवादी संख्या 1, 2 तथा रामफूल हंसराज)
तथा माता (गोरा देवी) के हक में त्याग कर दिया। इस प्रकार अब वादग्रस्त भूमि राजस्व
रिकार्ड में खातेदारी में 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1, 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2,
1/5 हिस्सा श्री रामाफूल 1/5 हिस्सा श्री हंसराज व 1/5 हिस्सा श्रीमति गोरा देवी के
नाम दर्ज है। वादीगण भी अपने पिता के साथ–साथ वादग्रस्त भूमि पर अपनी पुश्तैनी
सम्पत्ति होने के आधार पर काबिज हो गये। वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण
उसमें वादीगण का भी अधिकार है। इस प्रकार वादी सख्या 1 लगायत 3 का वादग्रस्त
भूमि में अपने पिता प्रतिवादी सख्या 1 के साथ प्रत्येक का 1/20 हिस्सा व वादी संख्या 4
लगायत 6 का वादग्रस्त भूमि में अपने पिता प्रतिवादी संख्या 2 के साथ प्रत्येक का 1/20
हिस्सा निहित हो गया व वादीगण प्रत्येक अपने–अपने 1/20 हिस्से की कृषि भूमि पर
काबिज काश्त हो गए। वादीगण अपने हिस्से पर आज तक निरन्तर काबिज है। वादीगण
का निवास भी उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में ही है। वादीगण के हिस्से को वादीगण के
अलावा किसी अन्य को हस्तान्तरित करने के अधिकार नही है। दिनांक 16.09.2018 को
प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य 2–3 व्यक्ति मौके पर आए व उन्होने कहां कि विवादग्रस्त भूमि
प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से क्रय कर ली है, तुम लोग उक्त भूमि को
खाली करो। वादीगण द्वारा यह बताने पर कि यह भूमि उनकी पुश्तैनी भूमि है, जिसका
विक्रय करने का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अकेले अधिकार नही था, जिस पर प्रतिवादी
संख्या 3 व उसके साथ आये व्यक्ति वादीगण के साथ लडाई झगड़ा करने पर उतारू हो
गये। बड़ी मुश्किल से उक्त लोग वहा से गये और जाते–जाते प्रतिवादी संख्या 3 व उक्त
साथ आये व्यक्ति वादीगण को विवादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने की धमकी देकर
गये है। इसके बाद वादीगण ने जरिये वाद मित्र विधिक परामर्श लेकर विवादग्रस्त कृषि
भूमि से सम्बन्धित रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादीगण को रिकार्ड देखकर व कानूनी
राय लेकर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण की पैत्रक सम्पत्ति
विवादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम नुमाईशी होने का नाजायज फायदा
उठाते हुए विवादग्रस्त कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 3 को क्रमशः दिनांक 28 11 2005
व 29.11.2005 को विक्रय कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्रों का नामान्तकरण संख्या 224

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक 06.02.2006 को प्रतिवादी सख्या 3 के नाम तस्दीक कर दिया गया। पक्षकारान मिताक्षरा शाखा से शासित संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। विवादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का उनकी पैतृक सम्पत्ति होने के कारण उनके पिता प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बराबर हिस्सा है। वादीगण अपने हिस्से को घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को विवादग्रस्त कृषि भूमि का स्वयं अकेले का नाम होने के आधार पर उसका विक्रय करने का अधिकार नही था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम की राजस्व प्रविष्टियो व विक्रय पत्र दिनाक 28.11.2005 व 29.11.2005 व उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 के नाम तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 224 दिनाक 06.02.2006 वादीगण के हक तक बमुकाबले वादीगण अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादीगण के पास विवादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा अन्य कोई सहारा नहीं है। यदि प्रतिवादी सख्या 3 विवादग्रस्त कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल कर देते है या विवादग्रस्त कृषि भूमि का किसी प्रकार से अन्तरण कर देते है तो चादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे व वादीगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति वादीगण को होना असम्भव है। वादीगण माननीय न्यायालय से अपने हक में इस आशय की घोषणा करवाने के अधिकारी है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण प्रत्येक का 1/5 में 1/4 अर्थात् 1/20 हिस्सा है। वादीगण इस आशय की घोषणा भी करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी सख्या 3 के हक में करवाया गये विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2005 व दिनांक 29.11.2005 व नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 06.02.2006 व अन्य राजस्व प्रविष्टियां बमुकाबले वादीगण अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है। वादीगण माननीय न्यायालय से प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण को विवादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही न करें व वादीगण के विवादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें व प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्तरित न करें व विवादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 16.09.2018 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 3 ने मौके पर आकर वादीगण को वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से क्रय करने की जानकारी दी व वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की धमकी दी व उसके बाद वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की जिससे वादीगण को अवैध अन्तरण होने की जानकारी हुई, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 4 भू-धारक है, इसलिये वे वाद में पक्षकार बनाए गए है व प्रतिवादी संख्या 5 पंजीयन अधिकारी को

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दौरान वाद विवादग्रस्त कृषि भूमि का अन्तरण कर देने की सम्भावना होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है।

अत वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें कि विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 809 रकबा 0.7000 हैक्टेयर खसरा संख्या 810 रकबा 0.0300 हैक्टेयर व खसरा संख्या 811 रकबा 0. 5500 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 12800 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, पटवार हल्का जयसिहपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा अर्थात् सभी का कुल 6/20 हिस्सा घोषित किया जावें व राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में करवाया गये विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2005 व दिनांक 29.11.2005 व उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 224 दिनाक 06.02.2006 व अन्य राजस्व प्रविष्टियां बमुकाबले वादीगण अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण को विवादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही न करें व वादीगण के विवादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें व प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्तरित न करें व विवादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। अधिवक्ता वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद डाक रजिस्टर्ड सूचना उपस्थित नही। दिनांक 29.08.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये। व पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई तथा साक्ष्य वादी किये गये व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावें कि विवादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 809 रकबा 0.7000 हैक्टेयर खसरा संख्या 810 रकबा 0.0300 हैक्टेयर व खसरा संख्या 811 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 12800 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, पटवार हल्का जयसिहपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में वादीगण का प्रत्येक का 1/20 हिस्सा अर्थात् सभी का कुल 6/20 हिस्सा घोषित किया जावें व राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावें। विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में इस आशय की घोषणा फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में करवाया गये विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2005 व दिनांक 29.11.2005 व उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 224 दिनांक 06.02.2006 व अन्य राजस्व प्रविष्टियां वमुकाबले वादीगण अवैध, शून्य व निष्प्रभावी है, जिनके आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाने की कृपा करें कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 वादीगण को विवादग्रस्त कृषि भूमि से बेदखल करने की कार्यवाही न करें व वादीगण के विवादग्रस्त कृषि भूमि के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें व प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्तरित न करें व विवादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत् 2051–2054 पेश की है जिसमें विवादग्रस्त आराजी भूमि लूणाराम पुत्र कानाराम के नाम अंकित है जिन्हें वादीगण स्वयं अपने दादा होना बतलाते है। वादीगण का कथन रहा है कि वादीगण के दादा के फौत हो जाने के पश्चात् उनकी विरासत का नामान्तरकरण रामफूल, रामकिशोर, मेघराज, हंसराज, रामप्यारी व गौरा देवी के हक में तस्दीक किया है और रामकिशोर पुत्र लूणाराम वादी संख्या 1 लगायत 3 के पिता है व मेघराज पुत्र लूणाराम वादी संख्या 4 लगायत 6 के पिता है, इसलिए विवादग्रस्त आराजी पैतृक भूमि होने के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण ने उक्त वाद अपने पिता के जीवनकाल में पेश किया जाना साबित है, अभी वादीगण के पिता जीवित है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 38 के अनुसार " अभिधारियों के हित– साधारण इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी अभिधारी का अपनी जोत में हित उत्तराधिकार योग्य होगा किन्तु अन्तरणीय नही होगा " अर्थात् किसी खातेदार काश्तकार के हित व अधिकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आवृत होते है, वादीगण द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जो विधि के प्रावधानों के तहत प्रतिबन्धित है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 38 व 40 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में खातेदार के विरासतन अधिकार प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है और वादीगण ने जिस प्रकार का अनुतोष अपने वाद में चाहा गया है वें साम्पतिक अधिकार की श्रेणी में आते है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रदत्त किये जाने का कोई अधिकार नही है, ऐसी स्थिति में वादीगण अपने पिता के जीवनकाल में विवादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है। वादीगण ने उक्त वाद के माध्यम से

उपखण्ड अधिकारी
द्वितीय (सांगानेर)

स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष भी चाहा गया है और स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में कब्जे का होना आवश्यक है, वादीगण की ओर से कब्जे के सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, इसलिए कब्जे के अभाव में वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने अधिकारी नही है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः वादीगण वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा, भू.अभि.नि.क्षेत्र भांकरोटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित हाल खाता संख्या 280 के खसरा संख्या 809 रकबा 0.7000 हैक्टेयर, खसरा संख्या 810 रकबा 0.0300 हैक्टेयर व खसरा संख्या 811 रकबा 0.5500 हैक्टेयर कुल खसरा 3 कुल क्षेत्रफल 1.2800 हैक्टेयर अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय के मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर